-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.09.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **साास की हत्या करने वाली बहू को थाना बदौसा पुलिस द्वारा किया 24 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। सास-बहू की मामूली नोंक-झोंक को लेकर बहू ने हँसिया व चकरी से हमला कर की थी सास की हत्या।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार यादव के निकट पर्यवेक्षण में थाना बदौसा पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.09.2024 को सास की हत्या करने वाली बहू को 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि कल दिनांक 25.09.2024 को थाना बदौसा क्षेत्र के ग्राम शाहपुर सानी में सास-बहू की आपसी नोंक-झोंक को लेकर बहू गुड़िया उर्फ सरोजा द्वारा अपनी सास गोमती की हँसिया व चकरी से हमला कर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में मृतका के पति ओमकार की तहरीर पर थाना बदौसा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्ता द्वारा पूछताछ में बताया कि उसमें व उसकी सास से आये दिन झगड़ा व नोंक-झोंक होती थी, दिनांक 25.09.2024 को भी दोनों की आपस में कहासुनी हुई थी जिससे वह काफी गुस्सा हो गई थी, इस दौरान उसके पति व ससुर बाहर गये थे तभी उसने पहले हँसिया से सास के चेहरा पर वार किया जिससे वह घायल होकर गिर पड़ी तब उसने चकरी के पाट से सिर पर हमला कर दिया जिससे सास की मृत्यु हो गयी। गिरफ्तार महिला की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त हँसिया व चकरी का पाट बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त हँसिया व चकरी का पाट।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गुड़िया उर्फ सरोजा पत्नी रोहित यादव निवासी शाहपुर सानी थाना बदौसा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी श्री जयचन्द्र सिंह
2. हे0कां0 मो0 ऐहतेशाम
3. कां0 संदीप मौर्या
4. कां0 प्रदीप कुमार
5. म0कां0 शिक्षा राठौर